न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल भोपाल कैम्प भोपाल

R-2003-III/13

भंवरलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर
उम्र 80 वर्ष काश्त
ग्राम बरायठा तह. नरसिंहगढ जिला राजगढ ......अपीलार्थी

विरुद्ध

1. मांगीलाल पिता छोटेलाल
2. मोर सिंह पिता छोटेलाल
3. नारायण सिंह पिता छोटेलाल
तीनो निवासी ग्राम बरायठा तह. नरसिंहगढ जिला राजगढ
4. पार्वती बाई पुत्री छोटेलाल
निवासी ग्राम रमगढा तह. बैरसिया जिला भोपाल ...प्रतिप्रार्थीगण

विरुद्ध

1. गोपीलाल पिता गिरधारी
2. दयाराम पिता गिरधारी आयु वयस्क
दोनों जाति गुर्जर निवासी ग्राम बरायठा
तह. नरसिंहगढ जिला राजगढ ....आवेदनकर्ता

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राज.संहिता

आवेदनकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है

1. यह कि आवेदनकर्ता अपीलार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगणो के सगे भाई है तथा लम्बित अपील प्रकरण कमांक 28–ए–27/11–12 के पैतृक सम्पति के विवाद में आवेदकगणों का भी समान रुप से हक निहित है के संबंध में एक आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. आवश्यक पक्षकार के रुप में समाहित करने हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नरसिहगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रतिप्रार्थी रिसपोंडेंट मांगीलाल, मोर सिंह नारायण सिंह व पार्वती बाई की ओर से घोर विरोध करते हुए आवेदन के निरस्ती की मांग की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों का सुक्ष्म अवलोकन किये बगैर ही प्रतिप्रार्थीगणों के प्रभाव में आवेदकगणो के आवेदन को दिनांक 03/04/13 को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार न होने के आधार पर निरस्त कर दिया जिससे दुखित व क्षुब्ध होकर उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत है।

93
CF 17.6.13
deleted 25/2/15
20/5/13
21.5.13

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./2003/दो/2013 जिला राजगढ़

भंवरलाल विरुद्ध मांगीलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक-28/ए-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03/04/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 29/5 सदस्य	